

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक-शिविरा-मा/माध्य/अ-1/आदर्श विद्यालय/21312/वो-2/2014

दिनांक-01.06.15

- (1) समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय)

विषय :- आदर्श विद्यालय के संस्था प्रधान हेतु जिला/ब्लाक एवं ग्राम
पंचायत स्तरीय सम्मान समारोह के संबंध में

प्रसंग :- शासन का पत्रांक-प.4(6)शिक्षा-1/2014 दिनांक-12.5.2015

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शासन के प्रासंगिक पत्र द्वारा पंचायत स्तर पर आदर्श विद्यालय स्थापित करने हेतु प्रसारित दिशा निर्देशों के बिन्दु सं. 3.8 के क्रम में उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन करने वाले शिक्षको/संस्था प्रधानों को विद्यालय/ब्लाक/जिला/राज्य स्तर पर सम्मानित किये जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किये जा रहे हैं। उक्तानुसार पालना सुनिश्चित करें।

संलग्न-यथोपरी

(सुवालाल)

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

(C)

आदर्श विद्यालय के संस्था प्रधान हेतु जिला/ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तरीय सम्मान समारोह के संबंध में दिशा-निर्देश

उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु राष्ट्र/राज्य/मण्डलस्तरीय शिक्षक पुरस्कार हेतु राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.18(2)शिक्षा-2/2014 जयपुर दिनांक 25.02.2015 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में विभाग के पत्र दिनांक 30.04.2015 द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश प्रसारित किये गये हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की मुख्य कड़ी विद्यालय है। इस कड़ी को सशक्त स्वरूप प्रदान किये जाने के लिए उक्त पुरस्कारों को जिला, ब्लॉक एवं विद्यालय स्तर तक जोड़ने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर आदर्श विद्यालय स्थापित करने हेतु जारी दिशा निर्देश दिनांक : 12.05.2015 के क्रम में एतद् द्वारा निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :-

1. विद्यालय/ग्राम पंचायत स्तर :-

- ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित आदर्श विद्यालय में प्रतिवर्ष स्वतन्त्रता दिवस पर आयोजित समारोह में उस ग्राम पंचायत की समस्त उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों में से तीन से पांच (संकाय की संख्या के अनुसार) शिक्षकों को अप्राकृतिक विवरणानुसार श्रेष्ठ शिक्षक के रूप में पुरस्कृत किया जाएगा।

(अ) 8वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम के आधार पर सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला शिक्षक - एक

(ब) 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम के आधार पर सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला विषय अध्यापक-एक

(स) 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम के आधार पर कला, वाणिज्य एवं विज्ञान में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाले व्याख्याता/विषय अध्यापक-प्रति संकाय एक अर्थात् तीनों संकायों के अनुसार अधिकतम तीन

- सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम निर्धारण के मापदण्ड-

(अ) संबंधित कक्षा में न्यूनतम 80 प्रतिशत परीक्षा परिणाम देने वाला विषय अध्यापक एवं

(ब) सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा-

1. कक्षा 8 के लिए A ग्रेड प्राप्त करने वाले अधिकतम छात्रों की संख्या।

2. कक्षा 10 व 12 के लिए विशेष योग्यता (75 प्रतिशत या अधिक अंक) प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या। विशेष योग्यता प्राप्त छात्र संख्या उपलब्ध न होने पर प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या को आधार माना जाएगा। छात्र संख्या की गणना परीक्षा में कुल प्रविष्ट छात्र संख्या के आधार पर प्रतिशत में की जाएगी।

अध्यापक को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र संस्था प्रधान को प्रस्तुत करना होगा। संस्था प्रधान अपने विद्यालय स्तर पर पुरस्कृत करने की कार्यवाही के लिए अधिकृत होंगे।

2. जिलास्तर :-

पूर्वोल्लेखित राष्ट्र/राज्य/मण्डल स्तरीय शिक्षक पुरस्कार हेतु राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.18(2)शिक्षा-2/2014 जयपुर दिनांक 25.02.2015 के क्रम में विभाग द्वारा प्रसारित निर्देश दिनांक 30.04.2015 के अनुसरण में जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन वाले पात्र शिक्षकों के प्रस्ताव राष्ट्र/राज्य/मण्डल स्तरीय शिक्षक पुरस्कार हेतु विभाग को अग्रेषित किये जाने हैं। उक्त प्रस्तावों में से अंक आधारित चयन योजना के आधार परचयनित शिक्षकों/संस्था

प्रधानों को प्रतिवर्ष 5 सितम्बर (शिक्षक दिवस) को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान कार्यक्रम में पुरस्कृत किया जाता है। राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में चयन से वंचित रहने वाले शिक्षकों में से अंक आधारित योजना में न्यूनतम 50 अंक प्राप्त करने वाले शिक्षकों/संस्था प्रधानों में से मण्डल उप निदेशक द्वारा मण्डल स्तरीय सम्मान समारोह में चुनिन्दा शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाता है। उक्तानुसार प्रेषित प्रस्तावों के आधार पर राज्य स्तरीय/मण्डल स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से वंचित रहने वाले प्रत्येक जिले के तीन पात्र शिक्षकों/संस्था प्रधानों (वरीयतानुसार) को गणतंत्र दिवस पर आयोजित जिला स्तरीय समारोह में पुरस्कृत किया जाएगा। यह व्यवस्था आदर्श विद्यालयों के अतिरिक्त अन्य विद्यालयों के अध्यापक/संस्था प्रधानों के लिए लागू होगी

3. आदर्श विद्यालयों के संस्था प्रधानों को सम्मानित किये जाने की योजना:-

सम्मान हेतु सर्वश्रेष्ठ संस्था प्रधान का चयन करते समय निम्नांकित कार्य-परिणामों एवं व्यवहार पर विचार किया जावे। इस हेतु प्रत्येक कार्य परिणाम हेतु अंक निर्धारित किये गये है :-

क्र०सं०	कार्य परिणाम	अधिकत अंक	विशेष विवरण
1	गत वर्ष का 8वीं/10वीं/12वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम	30	
2	नामांकन वृद्धि एवं ठहराव में योगदान	20	
3	शिक्षक-अभिभावक परिषद में लिए गए निर्णयों की प्रभावशीलता सहभागिता	10	
4	विद्यालय विकास समिति की बैठकों में पारित प्रस्तावों का क्रियान्वयन	10	
5	संस्था प्रधान की पहल पर विद्यालय में विकसित की गई सुविधाओं का स्तर	10	
6	विद्यालय में शिक्षण कार्य की गुणवत्ता का स्तर	10	
7	विद्यालय में प्रारम्भिक कक्षाओं के विद्यार्थियों का अधिगम स्तर	05	
8	विद्यालय में कक्षा-8, 10 एवं 12 के बोर्ड परीक्षा परिणामों का गुणात्मकस्तर	05	
कुल अंक :-		100	

संस्था प्रधान द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी से अग्रेसित कराकर संबंधित उपखण्ड अधिकारी (ब्लॉक स्तरीय प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा)

(i) ब्लॉकस्तर :-

ब्लॉक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ आदर्श विद्यालय के संस्था प्रधान का चयन प्रभारी अधिकारी (जिला कलक्टर द्वारा मनोनीत उप खण्ड स्तर का आर.ए.एस. अधिकारी) द्वारा उक्त वर्णित मानदण्डों के परिपेक्ष्य में किया जाएगा। प्राप्त आवेदनों में से ब्लॉक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ संस्था प्रधान का चयन निम्नलिखित समिति द्वारा किया जायेगा :-

- | | | |
|----|--|------------|
| 1. | उप खण्ड अधिकारी | अध्यक्ष |
| 2. | जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित अन्य ब्लॉक में कार्यरत प्रधानाचार्य | सदस्य |
| 3. | शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी (कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, मा०) | सदस्य सचिव |

उप खण्ड/तहसील स्तर के स्वतंत्रता दिवस समारोह में चयनित सर्वश्रेष्ठ संस्था प्रधान को पुरस्कृत किया जाएगा।

(ii) जिला स्तर :-

- प्रत्येक जिले में तीन सर्वश्रेष्ठ आदर्श विद्यालयों के संस्था प्रधानों को जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस/गणतंत्र दिवस समारोह में पुरस्कृत किया जाएगा। उक्त चयन जिला कलक्टर द्वारा संबंधित प्रभारी अधिकारी की अनुशंसा पर उपर्युक्त पूर्व में वर्णित मानदण्डों के परिपेक्ष्य में किया जाएगा। सभी ब्लॉक से प्राप्त प्रस्तावों में से तीन संस्था प्रधानों का चयन निम्नलिखित समिति द्वारा किया जायेगा :-

1. जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2. जिला कलक्टर द्वारा नामित उपखण्ड अधिकारी (1)	सदस्य
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)	सदस्य सचिव

(3) राज्य स्तर :-

राज्य के पांच सर्वश्रेष्ठ आदर्श विद्यालयों के संस्था प्रधानों को जयपुर स्थित शिक्षा संकुल में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस/गणतंत्र दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला कलक्टर द्वारा अनुशंसा पश्चात् भिजवाए गये प्रस्तावों में से 05 संस्था प्रधानों को उक्त मानदण्डों के आधार पर निम्नलिखित चयन समिति द्वारा चयनित किया जायेगा :-

1. शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा	अध्यक्ष
2. आयुक्त, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर	सदस्य
4. राज्य स्तर पर आदर्श विद्यालय कार्यक्रम का प्रभारी अधिकारी	सदस्य सचिव

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर द्वारा आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में चयनित संस्था प्रधानों को सम्मानित किया जायेगा।

(4) समय सारणी : आदर्श विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों/संस्था प्रधानों को सम्मान प्रदान करने के लिए पात्र व्यक्तियों के चयन हेतु समय सारणी निम्न प्रकार होगी :

1. आवेदन पत्र प्रस्तुत करना	15 अप्रैल से 30 अप्रैल
2. आवेदन पत्रों की समीक्षा एवं जांच	15 मई तक
3. ब्लॉक स्तर पर समिति की बैठक का आयोजन	10 जुलाई
4. ब्लॉक स्तरीय सम्मान के लिए चयन	15 जुलाई
5. जिला कलक्टर को जिला स्तरीय सम्मान हेतु चयन सूची प्रेषित करना	20 जुलाई
6. जिला कलक्टर द्वारा राज्य स्तरीय सम्मान हेतु चयन सूची राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद को भेजना	31 जुलाई
7. ब्लॉक/राज्य स्तरीय सम्मान प्रदान करना	15 अगस्त

विद्यालय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ शिक्षक चयन हेतु आवेदन पत्र (प्रारूप)

- (1) नाम :
- (2) पिता का नाम :
- (3) जन्म तिथि :
- (4) वर्तमान पद :
- (5) वर्तमान पद पर कार्यगृहण तिथि :
- (6) वर्तमान विद्यालय में कार्यगृहण तिथि :
- (7) विभिन्न क्षेत्रों में किये गये कार्यों का विवरण :-

1. बोर्ड परीक्षा परिणाम :

कक्षा 8	कक्षा 10	कक्षा 12

2. सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम निर्धारण के अन्य मानदण्ड :

- कक्षा 8 में ए ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या।
- कक्षा 5 में ए ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या।
- कक्षा 10 व 12 में पढाये गये विषय में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या।

3. नामांकन वृद्धि :

लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि

4. शैक्षिक गुणवत्ता सुधार हेतु किये गये प्रयास :

.....

5. विद्यार्थियों को कराये गये गृह कार्य/कक्षा कार्य की स्थिति

.....

6. सहशैक्षिक गतिविधियों के आयोजन की स्थिति
7. शोध कार्य/लेखन कार्य यदि कोई हो, का विवरण
8. विद्यालय के भौतिक विकास हेतु किए गये प्रयास
9. विद्यार्थियों में वैज्ञानिक अभिरूचि/नैतिक विकास/अन्य कौशल विकास आदि हेतु किये गए प्रयास यदि कोई हो, का विवरण
10. अन्य कोई उपलब्धि जिसका उल्लेख करना चाहें

शिक्षक के हस्ताक्षर

संस्था प्रधान द्वारा टिप्पणी

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर मय सील

नोट : संस्था प्रधान द्वारा दस्तावेजों के आधार पर प्रमाणिकरण किया जावे। यह प्रमाणिकरण किसी भी स्थिति में संस्था प्रधान के अतिरिक्त अन्य किसी प्रभारी अधिकारी द्वारा नहीं किया जावे।

सर्वश्रेष्ठ संस्था प्रधान के चयन हेतु आवेदन पत्र (प्रारूप)

- (1) नाम :
- (2) पिता का नाम :
- (3) जन्म तिथि :
- (4) वर्तमान पद :
- (5) वर्तमान पद पर कार्यगृहण तिथि :
- (6) वर्तमान विद्यालय में कार्यगृहण तिथि :
- (7) विभिन्न क्षेत्रों में किये गये कार्यों का विवरण :-

1. बोर्ड परीक्षा परिणाम :

कक्षा 8	कक्षा 10	कक्षा 12

2. सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम निर्धारण के अन्य मानदण्ड :

- कक्षा 8 में ए ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या।
- कक्षा 5 में ए ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या।
- कक्षा 10 व 12 में पढाये गये विषय में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या।

3. नामांकन वृद्धि :

लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि

4. शैक्षिक गुणवत्ता सुधार हेतु किये गये प्रयास :
5. विद्यार्थियों को कराये गये गृह कार्य/कक्षा कार्य के मूल्यामन की स्थिति
6. विद्यालय में सहशैक्षिक गतिविधियों के आयोजन की स्थिति

7. शोध कार्य/लेखन कार्य यदि कोई हो, का विवरण
8. विद्यालय के भौतिक विकास हेतु किए गये प्रयास
9. विद्यार्थियों में वैज्ञानिक अभिरूचि/नैतिक विकास/अन्य कौशल विकास आदि हेतु किये गए प्रयास यदि कोई हो, का विवरण
10. शिक्षक-अभिभावक परिषद की बैठकों का समय पर आयोजन तथा लिए गए निर्णयों की क्रयान्विती की स्थिति (आयोजित बैठक दिनांक एवं विवरण सहित)
11. विद्यालय विकास समिति की बैठकों के आयोजन एवं पारित प्रस्तावों के क्रियान्वयन की स्थिति (आयोजित बैठक दिनांक एवं विवरण सहित)
12. विद्यालय में प्रारम्भिक कक्षाओं के विद्यार्थियों का अधिगम एवं शिक्षण कार्य की गुणवत्ता का स्तर
13. अन्य कोई उपलब्धि जिसका उल्लेख करना चाहे

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर

जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा टिप्पणी

जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)

(हस्ताक्षर मय सील)

नोट : जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) द्वारा दस्तावेजों के आधार पर प्रमाणिकरण किया जावे। यह प्रमाणिकरण किसी भी स्थिति में जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) के अतिरिक्त अन्य किसी प्रभारी अधिकारी द्वारा नहीं किया जावे।